

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

(समाज कल्याण शाखा)

अति अल्पकालीन निविदा

दिव्यांगजनों को विशेष यंत्र उपलब्ध कराने हेतु निःशक्त कल्याणार्थ के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में विशेष यंत्र/उपकरण खरीदने हेतु अधिकृत निबंधित प्रतिष्ठित, संस्थान, निर्माता, थोक आपूर्तिकर्ता, विक्रेता से मुहरबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 07.03.2018 के पूर्वाह्न 12:00 बजे तक जिला समाज कल्याण शाखा में प्राप्त की जाएगी। तथा उसी दिन अपराह्न 02:00 बजे उपायुक्त, खूँटी के समक्ष उनके कार्यालय कक्ष में अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी वरीय पदाधिकारी एवं जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि रह सकते हैं।

विशेष यंत्र/उपकरण के प्रकार:-

क्र०	विशेष यंत्र/उपकरण का नाम	क्र०	विशेष यंत्र/उपकरण का नाम
1.	ड्राईसाईकिल, बड़ा	2	ड्राईसाईकिल, छोटा
3.	व्हील चेयर, बड़ा	4.	व्हील चेयर, छोटा
5.	वैशाखी, बड़ा	6.	वैशाखी, छोटा
7.	वैशाखी, मध्यम	8.	ब्लाइड स्टीक
9.	वाकिंग स्टीक	10.	श्रवन यंत्र

निविदा के शर्त:-

1. प्रत्येक निविदा के मुहर बन्द लिफाफे के उपरी भाग पर "दिव्यांगजनों के लिए विशेष यंत्र हेतु निविदा" उल्लेखित होना चाहिए।
2. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा राशि 20000.00 (बीस हजार) रु० का बैंक ड्राफ्ट जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी के पदनाम से खूँटी में भुगतये संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता के द्वारा 02 लिफाफों में क्रमशः तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को अलग-अलग जमा करना होगा। दोनो लिफाफो को एक अलग लिफाफा में डालकर मुहर बन्द किया जाएगा।
4. तकनिकी निविदा के लिफाफे में निविदादाता या आपूर्तिकर्ता संस्थान का वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र अद्यतन विक्रीकर विवरणी प्रमाण पत्र अद्यतन आयकर विवरणी प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा।
5. वित्तीय लिफाफे में केवल आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों के दर (सभी कर सहित) की सूची दी जाएगी।
6. तकनिकी मुल्यांकन में योग्य पाये गये आपूर्तिकर्ता /संस्थान के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
7. सफल निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि से 7 दिनों के अंदर विकलांगों का यंत्र एवं उपकरण खूँटी जिले के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में आपूर्ति करना होगा, एवं प्राप्ति रसीद समाज कल्याण शाखा, खूँटी में समर्पित करना होगा। इसके लिए किसी भी तरह का परिवहन एवं स्थालन व्यय अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। उपकरणों की आपूर्ति की संख्या में आवश्यकता अनुसार बढ़ोतरी / घटोतरी हो सकती है।
8. आपूर्ति किया गया विकलांगों का यंत्र एवं उपकरण निविदा में प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा आपूर्ति नहीं ली जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा यह शपथ-पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/एजेन्सी काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हर प्रकार के आरोप एवं जाँच से मुक्त है।
10. मुहरबंद लिफाफे पर निविदादाता का नाम/पता एवं सामग्री स्पष्ट अक्षरों में लिखकर देना होगा।

11. एक अथवा एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यादेश देने का अधिकार अथवा किसी भी या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. आपूर्ति किये गये सामग्री की गुणवत्ता के आकलन के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
13. निविदादाता **GST** अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य है।

ह0/-
उपायुक्त,
खूँटी।

ज्ञापांक 153/१५ दिनांक 20-2-2018

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, खूँटी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
खूँटी।